# असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की वस्तुस्थिति का अध्ययन

**डॉ. मनोरमा गौतम**
दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, भारत की ही क्यूं पूरे विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है | यदि बात की जाए भारतीय महिलाओं की तो इसमे कोई दो राय नही कि भारत में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है | रह – रहकर मस्तिष्क में एक ही सवाल कौंधता है जब स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज की धुरी हैं तो फिर स्त्री ही दोयम दर्जे की प्राणी क्यूं ? और पुरुष क्यूं नही ? आखिर जब किसी भी समाज के निर्माण में दोनों की ही भागीदारी समान है तो एक ( पुरुष ) श्रेष्ठ कैसे और दूसरा ( स्त्री ) निम्न कैसे ? नर और मादा प्रकृति द्वारा निर्मित दो ऐसे प्राणी हैं जो संसार के पुनर्सृजन में बराबरी का योगदान देते हैं तो फिर यह भेद क्यों ? यह तो समाज की विडम्बना रही है कि असमानता के द्वारा असमान्यता की सृष्टि की जाती रही है |

स्त्री पुरुष की समानता पर अपना विचार व्यक्त करते हुए अनामिका कहती हैं कि – " यहाँ समानता का अर्थ स्पर्धा नही वरन इतना ही है कि स्त्री को सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक , वैधानिक और पारिवारिक क्षेत्र में पुरुष के समान दर्जा मिले | उसे अपनी बौद्धिक तथा अन्य शक्तियों का विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए | समाज और परिवार का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि श्रम और संपत्ति में दोनों का हिस्सा समान हो....ऐसे स्वस्थ समाज में स्त्री मादा नही व्यक्ति कहलाएगी | "[1] समयानुसार तथा परिस्थितिनुकूल स्त्री , घर – परिवार , समाज तथा पुरुषों की आवश्यकताओं को पूरा करती रही है | त्याग , दया , क्षमा , समर्पण आदि गुणों से परिपूर्ण स्त्री अपने हर दायित्व को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाती रही है किन्तु इन सबके बावजूद भी इस मर्दवादी समाज में उसे कोई विशेष स्थान या सम्मान नही मिला | समय बदल गया किन्तु स्थितियां आज भी नही बदली | स्त्री चाहे किसी भी धर्म , जाति , वर्ण , वर्ग , समुदाय , समाज की हो , शिक्षित हो या अशिक्षित , वृद्ध हो या युवा , नौकरी – पेशा हो या गृहणी , आत्मनिर्भर हो या किसी पर निर्भर गाँव की हो या शहर की , भारत के किसी भी भू – भाग की हो , सभी की दुःख – दर्द पीड़ा समान है कहीं न कहीं , किसी न किसी रूप में उसे समाज की अवहेलना का शिकार होना ही पड़ता है | उसे कदम – कदम पर अपनी सुरक्षा तथा अस्तित्व के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है , और वह संघर्ष कर भी रही है |

यदि बात की जाए कामकाजी महिलाओं की तो उन्हें दोहरा संघर्ष करना पड़ता है | कामकाजी महिला घर और बाहर दोनों दायित्वों को एक साथ निभा रही है | घर की देहरी लांघने की वजह से औरत पर जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ पड़ा है | जहाँ पहले वह केवल घर का प्रबंध देखती थी , आज घर के बाहर की परेशानियों से भी जूझ रही है | घर के बाहर का असुरक्षित वातावरण उसे और भी अधिक आतंकित करता रहता है | आए दिन स्त्रियों के साथ हो रही घटनाएँ सुनने को आती हैं जैसे – बलात्कार , ऐसिड अटैक , हत्या , ऑनर किलिंग आदि | ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे स्त्रियाँ सुरक्षित भी रहें और निर्भय होकर तथा सम्मान के साथ नौकरी भी कर सके | क्योंकि असुरक्षा की डर से बहुत सी स्त्रियों को बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और न चाहते हुए भी उन्हें अपनी नौकरी आदि छोड़नी पड़ रही है | असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है | उसे अपने मालिक या बोस की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को भी झेलना पड़ता है और वो झेल भी रही है | उसके पीछे उनका यह डर है कि कहीं बोस नाराज न हो जाए और उनकी नौकरी न चली जाए| यही कारण है कि असुरक्षा के माहौल में भी वह कार्य करने को विवश हैं | इसको इस

तरह देखा जा सकता है – " सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हैं , किन्तु निजी संस्थानों में काम करने वाली महिलाऐं बहुत ही बंधी – बंधी सी महसूस करती हैं | अपने बोस की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का आशय होता है नौकरी से हांथ धो बैठना | "[2]

18वी एवं 19वी सदी के सामाजिक परिवेश में औद्योगीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का जन्म (उदय) हुआ | जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों ही आते हैं | संगठित श्रमिक वे श्रमिक हैं जो अपने रहन – सहन का स्तर सुधारने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर प्रयास करते रहते हैं जबकि असंगठित श्रमिक वे हैं जो अपनी आर्थिक दशा सुधारने हेतू संगठित होकर अपने नियोक्ताओं से अपने अधिकारों की बात नही कर पाते हैं | जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं | इसके अंतर्गत स्त्री श्रमिक और पुरुष श्रमिक दोनों ही आते हैं | यहाँ बात की जा रही है असंगठित क्षेत्र की | कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक वे श्रमिक हैं जो प्रमुख प्रावधानों जैसे स्वास्थ्य , सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी उपबन्ध आदि की परिधि से बाहर हैं , जबकि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार असंगठित क्षेत्र श्रमिक वे श्रमिक हैं जो घरेलू कार्य , स्वरोजगार एवं वेतन पर कार्य कर रहे हो तथा जहाँ श्रमिकों की संख्या दस से कम हो | जिनको अधिनियम की अनुसूची – II में शामिल किया गया हो असंगठित क्षेत्र कहलाता है | इसके अंतर्गत व्यक्तिगत या स्वरोजगार के स्वामित्व वाले व्यवसाय जो उत्पादन , वस्तुओं की बिक्री या सेवाएँ उपलब्ध कराने के कामों में संलग्न होते हैं| इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में वह श्रमिक आते हैं जो गांव अथवा शहरों में मजदूरी पर अस्थायी रूप से काम करते हैं | यह श्रमिक वर्ग परस्पर बिखरा हुआ होता है इसलिए इनका संगठन नही हो पाता है |

असंगठित मजदूरों के क्षेत्र में विविध तरह के कार्य और व्यवसाय होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए कोई एक छातानुमा कानून बनाना सरल कार्य नही है | इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न है – कृषि मजदूर , मछली कामगार , रिक्शा चालक , रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले , अपने घर में तरह – तरह के काम करने वाले मजदूर या कारीगर , दूसरे के घर में काम कर रहे घरेलू कामगार , निर्माण मजदूर , सफाईकर्मी , कूड़ा बीनने वाले , दुकानों व व्यापार स्थलों में काम कर रहे मजदूर आदि | इन विविध तरह के कार्यों के लिए एक कानून से सुरक्षा देने में कठिनाई तो है , पर इसके बावजूद इन सब कार्यों के लिए कम से कम कुछ सुरक्षा देने वाला एक छातानुमा कानून बनाना आवश्यक है| गौरवदत्त एवं अश्विनी महाजन असंगठित श्रमिको के बारे में अपना मत देते हुए कहते हैं कि – " असंगठित क्षेत्र में नियमित श्रमिक ऐसे मजदूर होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और इसके बदले वेतन या मजदूरी नियमित आधार पर प्राप्त करते हैं | इन श्रमिकों को सामाजिक असुरक्षा को झेलना पड़ता है और इन्हें बीमारी , चोट या वृद्धावस्था के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती | इसके विरुद्ध अस्थायी श्रमिकों या दिहाड़ीदार मजदूरों को दोनों प्रकार की असुरक्षा नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है | "[3]

असंगठित क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का बड़ा भाग एक उद्यमी के रूप में कार्यरत है | फिर वो महिलाएं चाहे शिक्षित हैं या अशिक्षित , सम्पन्न वर्ग से हैं या विपन्न वर्ग से , अपनी – अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार सभी इसमें अपना – अपना योगदान दे रही हैं | कुछ महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक दबाव के कारण मजबूरीवश अपना तथा अपने परिवार के भरण – पोषण हेतु तथा अपने पति के आर्थिक बोझ में सहयोग देने हेतु काम करती हैं और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पढ़ी – लिखी सुशिक्षित हैं वो अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए तथा अपने को किसी पर बोझ न बनने देने के उद्देश्य से काम करती हैं ताकि वह स्वयं के वजूद को कायम कर सकें | यह आज की कटुतम सच्चाई है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है | यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम – काज में उनका हांथ बंटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा | किन्तु ग्रामीण कामकाजी महिलाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय है | उन्हें अन्य तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है | सी० एम० पालविया और वी० जगन्नाथन ने 1978 में उत्तर प्रदेश के एक गाँव (कांवल गाँव) में कामकाजी महिलाओं के बारे में अपना शोध प्रस्तुत करते हुए कहा है कि– " आर्थिक रूप से शोषित महिलाएं जो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं , उनका जीवन वास्तव में चिंताजनक है क्योंकि उनको काम के लिए काफी दूर जाना पड़ता है | जिस कारण वो अपने परिवार को उचित समय नहीं दे पाती | जिससे परिवार की सामाजिक , आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश पर सीधा नकारात्मक असर पड़ता है | "[4]

असंगठित क्षेत्र में बड़ी तादात में महिला कर्मचारी भी कार्यरत हैं और वह पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का उद्योग हो वो अपनी पूरी मेहनत लगा देती है किन्तु फिर भी पारिश्रमिक या वेतन में उनके साथ न्याय नही किया जाता है| उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है | स्त्री – पुरुष के बीच मजदूरी में अंतर पूरे विश्व में है लेकिन भारत देश में यह गैर – बराबरी कुछ ज्यादा ही है | नीति निर्धारकों के लिए महिला का वेतन अतिरिक्त आय होती है , जो समाज या देश किसी के लिए महत्वपूर्ण नही है| असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007 में महिला श्रमिकों को श्रमिक ही नही माना गया है | जबकि असंगठित क्षेत्र में महिला कामगरों की

संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है | कानून , बजट और नीतियाँ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली इन कामगर महिलाओं को मान्यता नही देती है | लेकिन इसके उलट वास्तविकता यह है कि कामगर महिलाएं अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान दे रही हैं | असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों को मजदूरी में गैर – बराबरी तो झेलनी ही पड़ती है साथ ही इनकी सुरक्षा , विशेष जरूरतों और आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान नही दिया जाता | आंकडें बतातें हैं कि भारत में पैंतीस करोड़ घरेलू महिलाओं के श्रम की कीमत 613 अरब डॉलर है | लेकिन इस कीमत के बावजूद घरेलू महिलाओं के श्रम का कोई महत्व नही है | उन्हें अनुत्पादक श्रेणी में रखा जाता है | कुछ सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 2005 के मुकाबले वर्ष 2018 में महिला कामगारों की संख्या 36.7 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत हो गया है | इनकी लगातार घटती संख्या इस बात की सूचक है कि कुछ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सीमाएं हैं जो उनकी रह में रोड़ा अटका रही हैं |

स्त्री चाहे ताकतवर हो या निर्बल दोनों हो सूरतों में वो समाज के ठेकेदारों के हांथों का खिलौना बन रही है | इसका एक कारण यह भी रहा है कि अधिकांश राष्ट्रों और समुदायों में अर्थव्यवस्था और पूँजी पर पितृसत्ता का कब्जा रहा है और पितृसत्ता की यह रणनीति रही है कि हमेशा स्त्री के लिए मानदंड बनाएं जाए | पितृसत्ता ने इन ताकतवर स्त्रियों को कब्जें में करने के लिए उन्हें आजादी दी भी तो केवल अपने उपभोग के लिए , अपने स्वार्थ के लिए | उन्हें अपने घर पर भी सम्भोग के लिए तैयार रहना पड़ता था और अपने कार्यक्षेत्र पर भी | पुरुषों द्वारा आजादी देने के नाम पर उनका खूब शोषण किया गया | इतना ही नही वेतन में भी उनके साथ भेदभाव किया गया | श्रम के क्षेत्र में स्त्री को पुरुष के समान वेतन देने में आनाकानी की गई और यदि किसी भी तरह दिया भी गया तो कम दिया गया और काम अधिक लिया गया | यही नही उसे घर में भी बिना वेतन के श्रम करना पड़ता है और बाहर भी कम वेतन पर काम करना पड़ता है | यदि किसी व्यवसाय के लिए स्त्री अनुकूल नही है तो उसे छंटनी का भी सामना करना पड़ता है जो कि मानवीय धरातल पर गलत है| महिलाएं भी नियमित आय के साथ – साथ स्वतंत्रता , समानता , सुरक्षा और सम्मान चाहती है | वे इस तरह के भेदभाव से व्यथित होती हैं | इस प्रकार स्त्री को लगातार दोयम दर्जे का जीवन जीना पड़ रहा है | कृषि में भी तकनीकि के प्रयोग के कारण हांथों से काम कम लिया जा रहा है जिसका खामियाजा घरेलू स्तर पर और व्यापारिक स्तर पर महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है | अब उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है और उनके हुनर की थोड़ी – बहुत पूछ है भी तो , वहाँ मेहनताना बहुत कम है जो न तो स्त्री जीवन को गति दे पाता है और न सुरक्षा|

इस संदर्भ में मृणाल पांडे लिखती हैं कि – " स्त्रियों की आमदनी और स्वास्थ्य स्तर दोनों घटे हैं और असुरक्षा बढ़ी है | बाजारवाद के इस युग में औरतों के लिए यदि कोई कार्यक्षेत्र फैला है तो वह है देह व्यापार का | "[5]

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को काम देने वाला एक बड़ा वर्ग है जो लगभग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है | मुख्यतः बड़े नगरों तथा महानगरों में इसने अपने पैर ज्यादा ही पसारे हैं | इन्हें निर्माण उद्योग ( कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ) कहा जाता है | इसमें आमतौर पर करार पूरे परिवार के साथ किया जाता है जिसमे पति – पत्नी , बच्चे सबसे काम की अपेक्षा रखी जाती है | कुछ निश्चित अवधि के लिए यह करार होता है | भारत में ऐसे परिवार अक्सर दूसरे प्रदेशों में जा बसे हैं और काम पाने का उनका एकमात्र जरिया ठेकेदार या जमादार हुआ करते हैं | वे उन्हें लगभग बंधुआ जैसे हालात में रखते हैं | ये सब मजदूर राजस्थान , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , पश्चिम बंगाल, उड़ीसा , केरल जैसे दूर–दूर के प्रदेशों में भी आए हुए हैं, उनकी मजदूरी बहुत कम होती है , काम के समय हुई दुर्घटना का और मृत्यु का कोई मुआवजा उन्हें नही दिया जाता है | मुख्यतः इसमें महिला कामगार अधिक शोषण का शिकार होती है क्योंकि इसमें उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से शोषण किया जाता है |

असंगठित क्षेत्र में बालिकाएं प्राय: घरेलू नौकरानी का कार्य करती हैं और उन्हें उनके माता पिता द्वारा वेतनिक श्रम के रूप में निर्माण कार्यों के लिए भी साथ ले जाया जाता है | गरीब माता – पिता पैसे उधार लेते हैं और अपनी लड़की को जमानत के तौर पर दे देते हैं जहाँ उसे बंधक मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है | ईंट पत्थर खदानों आदि उद्योगों में भी महिलाएं बहुत अधिक संख्या में काम कर रही हैं | महिलाएं अपने शरीर के वजन से ज्यादा भार ढो रही हैं जिनके कारण उन्हें तमाम तरह की शारीरिक पीडाओं को भी झेलना पड़ता है | ज्यादा बोझ ढ़ोने से गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता है, मासिक धर्म के दौरान अधिक कार्य करने से उन्हें तमाम तरह की हार्मोनिक प्रोब्लम से गुजरना पड़ता है | भट्ठे के धूंआ आदि में काम करने से उन्हे सांस की बीमारी तथा कई तरह की तकलीफों का शिकार होना पड़ता है किन्तु इसके बावजूद भी वेतन में कोई बढ़ोतरी नही होती है | और न ही उन्हें इलाज की कोई सुविधा दी जाती है | यदि उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका कोई मुआवजा भी नही दिया जाता है |

महिला मजदूरों के बीच कबाड़ बीनने का काम काफी प्रचलित है| कबाड़ बीनने वाली लडकियाँ कागज, प्लास्टिक के टुकड़े, टिन, नारियल के खोल , लोहे और गिलास के टुकड़े , धातु के टुकड़े आदि को इकठ्ठा करती हैं | इस कार्य के दौरान अक्सर उनके हांथ– पैर कट जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है , घाव आदि होने से उन्हें टेटनेस आदि हो जाता है| इतना ही नही वे चर्मरोग आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाती

हैं किन्तु उनके मालिकों द्वारा उनके लिए कोई उपचार नही करवाया जाता इनके प्रति उनका रवैया रुखा ही रहता है |

भारत में 8–14 साल के आयु वर्ग की लड़कियों का एक बड़ा समूह है जो घर पर बहुत ही कम दर पर काम करते हैं | वे मध्य – प्रदेश , तमिलनाडु और केरल में बीड़ी कामगार, अहमदाबाद में रेडीमेड वस्त्र कामगार, लखनऊ में रेशमी वस्त्र (चिकन ) कामगार के रूप में कार्यरत हैं | इनके अलावा लडकियाँ पापड़ बेलने , आचार बनाने या खिलौने बनाने आदि में भी सहयोग देती हैं | इस दौरान इन्हें तमाम तरह की शारीरिक पीडाओं को झेलना पड़ता है, जैसे - सिर में दर्द होना, आँखों से पानी आना तथा उसकी रौशनी कम हो जाना, गर्दन तथा कमर में दर्द रहना इस तरह की तमाम समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है |

महिला कामगारों की बहुत सी संख्या माचिस बनाने में भी संलग्न हैं तथा आतिशबाजी उद्योग में भी अपना सहयोग देती हैं | यह कार्य बहुत जोखिम भरा है | इस कार्य के दौरान उनके हांथ – पैर आदि जल जाते हैं | चिंगारी पड़ने से उनके आँखों पर भी इसका असर पड़ता है | खतरनाक तथा जहरीले रसायनों जैसे पोटेशियम क्लोरेड, फोस्फोरस, रथ जिंग ऑक्साइड को हाथ में लेते हैं | इस प्रकार के रसायनों को हाथ में लेना जोखिमपूर्ण कार्य है | ऐसे स्थानों पर कार्य करने वाली लडकियाँ अक्सर दुर्घटना का शिकार होती रहती हैं |

कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली लडकियों को रासायनिक धूल, धूंआ आदि से प्रदूषित वातावरण में काम करना पड़ता है | ऐसी परिस्थितियों में निरंतर काम करने से वे दमा, श्वांस, आँखों में जलन, अवरुद्ध विकास, तपेदिक, कैंसर आदि भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं | हीरा काटने, कीमती पत्थर की पोलिश तथा कटिंग उद्योग में महिलाकर्मी चर्मरोग, नेत्र समस्या, सिरदर्द, वायरल तथा अन्य संक्रामक रोगों से ग्रस्त रहती हैं |

उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग तथा उत्तर पूर्वी भारत में चाय बागानों में 14 वर्ष से कम आयु की लडकियाँ काम करती हैं| जम्मू–काश्मीर में शाल तथा कालीन निर्माण , मिर्जापुर में कालीन बुनने , मुरादाबाद में पीतल तथा कांसे के बर्तन बनाने तथा खुर्जा एवं समस्त उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाने | मकरापुर (आन्ध्र प्रदेश) , मंदसौर (मध्य प्रदेश) में स्लेट उद्योग तथा भिवांडी (महाराष्ट्र) में बिजलीकरघा में भी लड़कियों को काम करते देखा जा सकता है | जहाँ पर उन्हें तमाम तरह की शारीरिक, मानसिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है | मालिक की गालियों तथा उनकी हुड़की के साथ उनकी गन्दी नजरों को भी झेलना पड़ता है |

इसी प्रकार जयपुर में कीमती पत्थरों को काटने तथा उन पर पोलिश करने, अलीगढ में ताला उद्योग में तथा बनारस में जरी की कढ़ाई के काम में , सूरत में हीरा काटने के काम में, कोचीन में सूती वस्त्रोद्योग के सूत काटने के विभाग में, उत्तरी चेन्नई तथा कन्याकुमारी में मत्स्य क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में हथकरघा उद्योग तथा अन्य गृह आधारित उद्योगों में भी महिला कर्मचारी कार्य करती हैं |

शहरों में लडकियाँ बड़ी संख्या में घरेलू नौकरानी का काम करती हैं | अकेली दिल्ली में 8 से 14 साल की एक लाख लडकियाँ घरेलू नौकरानी का काम करती हैं | अधिकांश लडकियाँ या तो समूहों में या फिर पारिवारिक सदस्यों के साथ दिल्ली आती हैं और घरों में काम करती हैं | मुम्बई में मजदूरों का पांचवा हिस्सा घरेलू नौकरों के रूप में पैसा कमाते हैं | अलग–अलग कार्यो में काम करने के घंटे अलग–अलग होते हैं | सामान्यत: एक बालिका मजदूर 3-12 घंटे काम करती है| उन्हें मजदूरी के साथ कोई साप्ताहिक अवकाश नही दिया जाता | कई बार विशेष परिस्थितियों में 8–10 घंटे काम करती हैं | वे बिना रुके न्यूनतम मजदूरी के काम करती रहती हैं | लड़कियों के लिए कार्य की परिस्थितियाँ अक्सर प्रतिकूल तथा हानिकारक रही है | जिन परिस्थितियों में वे काम करती हैं वो अमानवीय तथा जोखिमपूर्ण होती है| पुरुष कामगारों के मुकाबले महिला कामगारों को कम सुविधा दी जाती है | उन्हें सुविधाओं के अभाव में लम्बे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है | कई बार उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है तथा अधिक काम के लिए अतिरिक्त पैसे भी नही दिए जाते और न ही उन्हें साप्ताहिक अवकाश अथवा वैतानिक अवकाश दिया जाता है | उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल नही की जाती | अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता है, घूमने फिरने अथवा खाली बैठने की उन्हें स्वतंत्रता नही होती| वे सामान्यतया प्रतिकूल व्यवस्था, असुरक्षित, अँधेरे तथा विपरीत वातावरण में काम करती हैं| कई बार उन्हें भारी सामान उठाना पड़ता है जो उनके शारीरिक क्षमता से परे होता है | शारीरिक, मानसिक तथा यौन शोषण तो आम बात है उनके लिए | असंगठित महिला मजदूरों के साथ होने वाले अत्याचारों की दास्तान वाकई में बहुत ही अमानवीय है | उनके साथ होने वाला भेदभाव यह दर्शाता है कि इन्हें केवल एक साधन के रूप में देखा जा रहा है जिससे सिर्फ मनमाना काम लिया जा सके , उसके द्वारा मुनाफा कमाया जा सक , किसी मशीन के कल पुर्जों की भांति उसके कोमल और महत्वपूर्ण अंगों के साथ खिलवाड़ किया जा सके | महिला उनके द्वारा किये गए कुकृत्य को जब तक बर्दास्त करती है तो ठीक है वरना विरोध करने पर उसे निकाल बाहर करते हैं | महिला श्रमिकों के शोषण का नवीनतम उदहारण महाराष्ट्र में सामने आया है | महाराष्ट्र की बीड़ जनपद में पिछले तीन वर्ष में 4605 महिलाओं के गर्भाशय इस कारण निकाल दिए गए कि उनका रजोधर्म (माहवारी) बंद हो जाए और इस तरह उनके बार – बार छुट्टी लेने के कारण गन्ना कटाई का कार्य बाधित न हो | डॉ० अम्बेडकर ने महिलाओं के साथ हो रहे इस अमानुषिक व्यवहार के विषय में कहा है कि – " समाज को मिलने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा महिलाएं हैं | महिलाओं में वे सभी गुण एवं क्षमताएं होती हैं जो मर्दों में होती हैं | जो समाज महिलाओं

के योगदान को कम करके देखता है या उसे मात्र 'अनुचरी' की भूमिका में रखता है वह समाज का बीमार अंग ही हो सकता है | उनका मानना था कि समाज के उन्नत होने का मापदंड उस समाज के पुरुष न होकर स्त्रियाँ होती हैं | "[6]

महिला कामगार आज भी सामाजिक सुरक्षा, समान पारिश्रमिक, अवकाश, मातृत्व अवकाश, सुविधा लाभ , विधवा गुजारा भत्ता और कानूनी सहायता आदि से वंचित हैं | हालांकि असंगठित क्षेत्र की कुछ श्रेणियों के लिए कुछ कानून देश के अलग – अलग हिस्सों में पहले से ही मौजूद है , जैसे – महाराष्ट्र का मथारी वर्कर्स कानून , डॉक वर्कर्स कानून, रोजगार गारंटी कानून, तमिलनाडू सोशल सेक्युरिटी कानून आदि पर ये कानून असंगठित क्षेत्र के अधिकांश मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त नही है | ' कल्याण कोश व कल्याण बोर्ड ' की स्कीमे असंगठित क्षेत्र की कुछ श्रेणियों तक व कुछ राज्यों तक ही सीमित है | परिणामस्वरूप अधिकतर असंगठित मजदूर इन कानूनी प्रावधानों तथा अन्य विभिन्न योजनाओं का फायदा नही उठा पाते हैं | इसके अतिरिक्त महिला कामगारों के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं जिसके निम्न बिंदु हैं -

- किसी महिला कामगार से किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक और किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नही की जाएगी |
- किसी महिला कामगार को जो सुबह पांच बजे और छह बजे के बीच या शाम सात और रात दस बजे के बीच कारखाने में काम करने से इनकार करे , केवल उक्त अवधि के दौरान कार्य करने के कारण नियोजन से नही हटाया जाएगा |
- अधिष्ठाता ऐसे समस्त कामगारों को मध्याह्न भोजन ,रात्रि भोजन के लिए कैंटीन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा |
- किसी महिला कामगार को शाम सात बजे से रात ग्यारह बजे के बीच काम करने के लिए बुलाने के लिए नियोजक को शपथ पत्र देना होगा |
- महिला कामगारों की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा |
- महिला कामगारों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा|
- महिला कामगारों के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर उनको हर्जाना दिया जाएगा |

वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) सूक्ष्म वित्त के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है , जो लाभ से वंचित महिलाओं के लिए ऋण और सामाजिक सेवाएं प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है |

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को बहुत सी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है | उन्हें सिर्फ अपने परिवार, पड़ोस , समाज से ही नही संघर्ष करना पड़ता है बल्कि अपने कार्य–स्थल या कार्यक्षेत्र पर भी तमाम तरह की कटूक्तियों से संघर्ष करना पड़ता है| कदम – कदम पर उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उनके मार्ग अवरुद्ध किए किए जाते हैं , उन्हें तिल तिल कर जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है | उनका सिर्फ शारीरिक या मानसिक शोषण ही नही किया जाता बल्कि उनका यौनिक शोषण होता रहता है जो कि असहनीय है | चूंकि असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं इतनी जागरूक नही हैं कि वो इन सबका विरोध कर सकें , इनके खिलाफ आवाज उठा सकें तथा अपनी सुरक्षा की मांग कर सकें | इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा कुछ नियम तथा कानून बनाएं गए हैं जिसके द्वारा वे अपनी समस्याओं को हल कर सकती हैं | किन्तु उन महिलाओं को इन सब की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण असंगठित क्षेत्र के मालिक वर्ग इस बात का फायदा उठाते हुए इन महिलाओं का शोषण करते हैं |जीवन में आर्थिक रूप से सशक्त न होने का कई बार परिणाम यह होता है कि स्त्रियाँ अपने साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाती है आवाज़ उठाने का मतलब है जीवन में मिलने वाली आंशिक सुविधाओं से भी वंचित हो जाना | जीवन की विसंगतियां उन्हें बहुत कुछ असहनीय भी सहने को विवश करता है ऐसे में समाज का उनके प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है |

**सन्दर्भ : -**


1. अनामिका.समन्वित नारीवाद और भारतीय देवियाँ : हंस , जनवरी. 1995 , पृष्ठ.29
2. गौरवदत्त एवं महाजन,अश्विनी. भारतीय अर्थव्यवस्था. एच० चन्द० एंड कम्पनी लिमिटेड. पृष्ठ.46
3. पांडे मृणाल.हंस. जनवरी – फरवरी 2000. पृष्ठ. 165
4. आर्यकल्प.जनवरी 2008 , पृष्ठ – 143
5. अनामिका.समन्वित नारीवाद और भारतीय देवियाँ : हंस, जनवरी. 1995 , पृष्ठ.92
6. गौरवदत्त एवं महाजन,अश्विनी. भारतीय अर्थव्यवस्था. एच० चन्द० एंड कम्पनी लिमिटेड. पृष्ठ.112